न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 95/2023 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेश कुमार सैनी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री विशम्भर दयाल शर्मा पुत्र श्री कजोडमल शर्मा
   मैसर्सः—शर्मा प्रोविजन स्टोर, बस स्टैण्ड, गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 22.04.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी ने दिनांक 29.08.2023 को समय दोपहर 12:50 पर मैसर्स शर्मा प्रोविजन स्टोर, बस स्टैण्ड, गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय मालिक श्री विशम्भर दयाल शर्मा पुत्र श्री कजोडमल शर्मा उपस्थित मिला, जिनको अपना परिचय दिया तथा परिचय पूछने पर श्री विशम्भर दयाल शर्मा ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया तथा खाद्य पदार्थ पंजीकरण दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय फर्म पर एक साफ सुथरे स्टील के पीपे में 12 किलो खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (**Mustard Oil Loose**) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमे मिलावट का शक होने पर इनमें से नमूने की जांच हेतु 1.600 किग्रा खाद्य पदार्थ सरसों तेल खुला (**Mustard Oil Loose**) खरीदा, जिसकी कीमत 200 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 1.600 किग्रा सरसों का तेल खुला (**Mustard Oil Loose**) को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतलों में बराबर—बराबर (400—400 ग्राम) डालकर बोतलों को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को नमूनों पर चिपकाकर नमूनों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेटकर नमूनों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर **AG**—3710 गोंद से चिपकाकर नमूनो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर नमूनों को चार—चार जगह से चपडी से सील मोहर कर नमूनो पर एफ.बी.ओ. विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द नमूनों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां [illegible] लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा [illegible] न्द सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्यालय द्वारा दिनांक 31.08.2023 को खाद्य विश्लेषक [illegible] शाला अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 की [illegible] कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 31.08.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ [illegible] को जमा करवाये। नमूने का चतुर्थ सील बन्द [illegible] व फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दि[illegible] 31.08.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.04.30 11:24:21 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल खुला **(Mustard Oil Loose)** के नमूने की जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस./1623/एक्ट/2023/1645 दिनांक 13.09.2023 के अनुसार **Contravention to the Regulation No. 2.3.15(b) FSS (Prohibitions and Restrictions on sale)** नियम 2011 का उल्लंघन **(Sale of oils & fats is restricted in loose condition)** पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./1623/एक्ट/2023/1645 दिनांक 13.09.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ सरसों तेल खुला **(Mustard Oil Loose) Contravention to the Regulation No. 2.3.15(b) FSS (Prohibitions and Restrictions on sale)** नियम 2011 का उल्लंघन **(Sale of oils & fats is restricted in loose condition)** पाया गया है। विक्रेता ने सरसों तेल खुला **(Mustard Oil Loose)** का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2)(V) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 58 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि हमारे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल खुला **(Mustard Oil Loose)** में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। हमारे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल खुला **(Mustard Oil Loose)** के पैक पीपे को खोलकर ग्राहको की मांग के अनुसार खुला सरसों का तेल विक्रय किया है। हमे यह मालूम नहीं था कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुसार खुला सरसों का तेल विक्रय करना वर्जित है। भविष्य में हमारे द्वारा खुला सरसों के तेल का विक्रय नहीं किया जावेगा। प्रथम बार हुई गलती के लिये प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण फरमावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./1623/एक्ट/2023/1645 दिनांक 13.09.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल खुला **(Mustard Oil Loose)** का नमूना **Contravention to the Regulation No. 2.3.15(b) FSS (Prohibitions and Restrictions on sale)** नियम 2011 का उल्लंघन पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने सरसों तेल खुला **(Mustard Oil Loose)** का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2)(V) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 58 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सरसों का तेल खुला **(Mustard Oil Loose)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री विशम्बर दयाल शर्मा पुत्र श्री कजोड मल शर्मा मैसर्स शर्मा प्रोविजन स्टोर, बस स्टैण्ड गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा पर 10000/-(अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 22.04.2024 के एक माह के अन्दर-अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के मद 0210-04-800-03-00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रमांक/FSSA/ 2024/ दिनांकः- 22.04.2024

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा।
3. श्री विशम्भर दयाल शर्मा पुत्र श्री कजोडमल शर्मा
   मैसर्सः-शर्मा प्रोविजन स्टोर, बस स्टैण्ड, गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.04.30 11:24:21 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा